

समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अस्थायी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीणा व्यास नोडल अधिकारी विशेष जेल लोक अदालत जिला न्यायाधीश वरुण पुनासे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार केशरवानी, पीठासीन अधिकारी मुदित लटौरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुज कुमार चंसीरिया, जेल अधीक्षक युदुवेंद्र बाघमारे, विशेष जेल लोक अदालत खण्णैपेट के सदस्यगण, जिला जेल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कर्मचारीगण एवं बंदीज उपस्थित रहे।

विशेष जेल लोक अदालत के माध्यम से जेल में निरुद्ध विचारधारा बंदियों के मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किये जाने हेतु प्रकरण रखे गये हैं, जिसमें कुल 2 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया।